

कृषि निदेशालय, बिहार।

पत्र संख्या—06/कृषि/स्थाना-पदस्थापन-05/2019 (बगुड)क- 399

कृ०, पटना, दिनांक 04 जुलाई, 2019

प्रेषक,

आदेश तितरमारे, भा.प्र.से.
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :- कृषि विभाग के स्थानान्तरण आदेशों के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कृषि निदेशालय के आदेश ज्ञापांक— 364 दिनांक 25.06.2019, ज्ञापांक—365 दिनांक 26.06.2019, ज्ञापांक—367, 371, 374 दिनांक 27.06.2019, ज्ञापांक—379, 380, 381, 382 दिनांक 28.06.2019 एवं ज्ञापांक 385 दिनांक 29.06.2019 (संलग्न) के द्वारा कृषि विभाग के अधीनस्थ कोटि के पदाधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है। अनुरोध है कि अपनी देख-रेख में स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

पूर्व में ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं कि बिना कृषि निदेशक की अनुमति के कतिपय प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा स्थानान्तरित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को विरमित नहीं किया गया है। कई प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने तो ऐसे भी गलत प्रतिवेदन भेजे हैं कि उनके प्रखंड में कोई पद ही रिक्त नहीं है। ऐसे सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भेजी जायेगी।

जो स्थानान्तरित कर्मी अपने पदस्थापन स्थान से दिनांक 05.07.2019 तक विरमित होकर दिनांक 12.07.2019 के पूर्व नव पदस्थापित स्थान पर योगदान नहीं करते हैं, उन्हें तत्काल निलंबित कर विभागीय कार्यवाही के अधीन कर दिया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय कि किसी भी परिस्थिति में दिनांक 05.07.2019 के पश्चात स्थानान्तरित पदाधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन आदि का भुगतान उनके पुराने पदस्थापन स्थान से न हो।

अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त का अनुपालन अपने मार्गदर्शन में कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(आदेश तितरमारे)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 399

कृ०, पटना दिनांक 04 - जुलाई, 2019

प्रतिलिपि :- मुख्यालय/मीठापुर स्थित सभी संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं समयबद्ध अनुपालन हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 399

कृ०, पटना दिनांक 04 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि :- सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।